पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

लोलकपुर

ग्राम पंचायत - लोलकपुर

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - लोलकपुर गाँव में पुराने समय में लप्केरिया उपजाति के पटेलों का निवास था जिसके कारण गाँव को लप्केर गाँव के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद यह गाँव लप्केर से बदल कर लोलकपुर के नाम से जाना जाने लगा। रोत परिवार के पूर्वज डोजा में निवास कर रहे थे वे मूलतः चित्तौड़गढ़ से थे और वहाँ से आकर डोजा में रुके हुए थे। डोजा गाँव से लोलकपुर आकर उन्होंने लप्केर से पटेलों को भगा कर गाँव पर कब्ज़ा कर लिया था। लोलकपुर गाँव रोत आदिवासियों द्वारा लप्केर गाँव से पटेलों को भगा कर बसाया गया लगभग 300 साल पुराना गाँव है। लोलकपुर में एक राणीघाटा फला है। लोलकपुर गाँव के पूर्वजों के अनुसार किसी समय में एक रानी भाग कर यहाँ छुपी हुई थी और राजा वहाँ से उसको घसीटकर अपने महल वापस लेकर गया था। इसलिए इस फले का नाम राणीघाटा पड़ा। लोलकपुर में एक तोरणिया फला भी है। गाँव के पूर्वजों के कथनानुसार इस फले में लोग तोरण यात्रा निकालते थे इसलिए इस फले का नाम तोरणिया पड़ा। लोलकपुर में एक चक लोलकपुर फला है। इस फले की ज़मीन चक राजदानी में आती है इसलिए यह फला चक लोलकपुर के नाम से जाना जाता है।

गाँव का एक परिचय - लोलकपुर गाँव दोवड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत लोलकपुर का एक राजस्व गाँव है जो जो सांद्री नदी के किनारे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर है लोलकपुर गांव में लगभग 375 घर हैं और आबादी लगभग 2100 है। गांव में चार फले हैं - लोलकपुर मुख्य फला, राणीघाटा, सामितेड़ फला, तोरानिया फला और महुडा फला है। लोलकपुर के पड़ोसी गांव मांडवा, सरकण कौपचा, धरती माता, नवाटापरा और रंगपुर है। लोलकपुर गांव में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं जिनमें रोत, कटारा, मेनात, बंरडा, खराड़ी, कलासुआ और खांट है। प्राचीन समय में गांव में लप्केरिया पटेल भी रहते थे। लेकिन वर्तमान में आदिवासियों के अलावा अन्य किसी भी जाति के लोग गांव में नहीं रहते हैं। गांव में गांव सभा का गठन और शिलालेख को 12 अक्टूबर 2017 को हुआ था। गांव में जनवरी 2019 में कुछ घरों में विद्युतीकरण हुआ है इसके बावजूद भी गांव के करीब 20 घरों में बिजली की सुविधा नहीं है। गाँव में राशन की दुकान नहीं है वह 1 किलोमीटर दूर नवा टापरा में है। गांव का पुलिस थाना वरदा में है। दैनिक घरेलू सामान की खरीदारी के लिए भी आंतरी (4 किलोमीटर दूर)जाना पड़ता है।

आवागमन की स्थिति - डूंगरपुर से लोलकपुर गांव में जाने के जाने के लिए दो रास्ते हैं - पहला लोलकपुर जाने के लिए डूंगरपुर से जीप अथवा टेंपो से शंकर घाटी से होते हुए लोलकपुर के लिए सड़क है उस रास्ते से जीप टेंपों लोलकपुर जाते हैं । यदि जीप या टेंपो निकल गयी है या नहीं मिलती है तो आंतरी हो कर लोलकपुर जाना पड़ता है जो 8-9 किलोमीटर लंबा पड़ता है। एक रास्ता हिराटा से भी है। हीराता बस स्टैंड पर उतर कर लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचा जा सकता है। डूंगरपुर से लोलकपुर गांव में गांव जाने के लिए पक्की मगर टूटी-फूटी डामर सड़क है जो शंकर घाटी से होती हुई जाती है। डूंगरपुर से लोलकपुर गांव में जाने के लिए जो जीप (निजी वाहन) ऑटो मिलते हैं वे पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। 7-8 लोगों के बैठने की क्षमता वाले वाहन में 15-20 लोगों को

ठूंस-ठूंस कर भेड़ बकरियों की तरह बिठाते हैं। गांव में कोई सी.सी. सड़क नहीं है। डामर सड़क दो हैं। गाँव में कुछ कच्चे रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में दो आंगनवाडी है। लोलकपुर में बच्चों के पढ़ने के लिए तीन विद्यालय हैं। एक प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें बच्चों की संख्या 56 है और अध्यापकों की संख्या 2 है। पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी और विद्यार्थियों की बैठने के लिए कमरों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चों को उनकी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है। गांव में एक माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या 691 और अध्यापकों की संख्या 13 है। विद्यालय के पास में बच्चों को पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप है जिस में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। पानी की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से बच्चे वही फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। स्नातक के लिए 18 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव में ईलाज की व्यवस्था हेतु उप-स्वास्थ्य केंद्र है। उप-स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है लेकिन वहां टीकाकरण और प्रसव पूर्व सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कोई इलाज नहीं होता है। नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आंतरी में है जहां पर चिकित्सा अधिकारी मिलते हैं। लेकिन अक्सर गांव में गंभीर रूप से बीमार लोगों को जिला अस्पताल डूंगरपुर ले जाते हैं। मरीजों के लिए कभी-कभी ही 108 सुविधा मिलती है अन्यथा उनको निजी साधन से अस्पताल जाना पड़ता है। गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है; निकटतम पशु चिकित्सालय आंतरी में है।

गाँव की समस्याएं -

आवागमन की कमी - लोलकपुर से डूंगरपुर आने-जाने के लिए जीप अथवा टेंपो से जाया जा सकता है। लेकिन वह मालिक की मर्जी से लंबे इंतजार के बाद पूरी भरने पर चलती है। लोलकपुर गाँव में आवागमन की समस्या है क्योंकि कहीं आने जाने के लिए टेम्पों आंतरी से मिलता है। आंतरी हो कर लोलकपुर से डूंगरपुर आना-जाना 8-9 किलोमीटर लंबा पड़ता है। डूंगरपुर से लोलकपुर गांव में गांव जाने के लिए पक्की मगर टूटी-फूटी डामर सड़क है जो शंकर घाटी से होती हुई जाती है। गाँव से जो जीप (निजी वाहन) ऑटो मिलते हैं वे पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। 7-8 सवारियों की क्षमता वाले वाहन में 15-20 लोगों को ठूंस-ठूंस कर भेड़ बकरियों की तरह बिठाते हैं। गाँव में कोई आर.सी.सी. रोड़ नहीं है। गाँव में सारे रास्ते कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है। वाहनों को उबड़-खाबड़ जमीन होने और रोड़ नहीं होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। बीमार लोगों को अपने घरों से गाँव की सड़क तक लाने के लिए चारपाई अथवा झोली में लिटा कर लाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - लोलकपुर गाँव का पूरा रकबा 563.49 हेक्टेयर है। कृषि जमीन 291.731 हेक्टेयर है, बेनामी जमीन 132.67 हेक्टेयर है। गाँव में चारागाह की जमीन 48.84हेक्टेयर है। गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। पहाड़ियों की घाटी में कुछ ही समतल जमीन है। वह भी कुछ लोगों के पास है बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के सारे पहाड़ खाली पड़े है कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। गाँव के किसानों में वृक्षारोपण के प्रति भी भय व्याप्त हैं। वह समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जंगल पर वन विभाग का कब्जा करा दिया है। उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। दिसम्बर बाद गाँव में नदी और लगभग सभी नाले सूख जाते है। गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। गाँव का भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गर्मियों में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। गांव के अधिकतर हैंडपंप और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि के लायक भूमि या तो बहुत कम है या किसी के पास है भी तो वह पहाड़ों की घाटी में है। बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती है। जिन लोगों के पास निजी ट्यूबवेल है वह लोग अपनी समतल जमीन में धान और गेहूं पैदा करते हैं। बाकी लोग केवल बरसात में होने वाली फसल पर ही निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में उनकी खेती से कोई उपज नहीं मिल पाती है। धान, गेहूं, मक्का,सोयाबीन और उड़द उनकी मुख्य फसल है। जिनके पास समतल जमीन है और वह भी गेहूं और चना पैदा कर पाते हैं तो उनको 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 2 से 4 महीने ही खाने भर का अनाज पैदा कर पाते हैं। वह भी प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। अपनी स्वयं की खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। खेती भी इतनी नहीं है कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहां उनको कोई काम मिलता है तो ठीक नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं और फिर दूसरे दिन उसी मजदूर मंडी में पहुंच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब - 1 एनिकट - 1 नदी - 1 नाले - 3 कुआं - 3 बोरवेल - 10 हैंड पंप - 15	गाँव से एक सांद्री नदी निकलती है जिसमें बरसात में ही पानी रुकता है। बरसात के बाद नदी सूख जाती है। गाँव से आगे जाने पर मार्गीया महुड़ा में नदी पर बांध बना हुआ है। बांध के कारण दिसम्बर माह तक गाँव में कुछ दूरी तक नदी में पानी रहता है । वह भी दिसम्बर के बाद खत्म हो जाता है। गाँव में एक तालाब, एक एनिकट, तीन नाले और तीन कुए है। पर सब में गर्मी में पानी सूख जाता है। गाँव के करीब 5 लोगों ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है जिनमें भी गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जाता है। गाँव में 15 हैण्ड पम्प है। सभी हैंडपंप में फ्लोराइड तथा आयरन पाया जाता है।	गाँव में नाले पर बने एनीकट की मरम्मत करके और योजनाबद्ध तरीके से नए एनिकट बनाकर नदी और नाले के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सकता है। गाँव के चारों तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब में भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है। नदी, नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। पुराने कुओं की मरम्मत करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा। पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए गाँव सभा से पंचवर्षीय योजना तैयार करवाकर इस पर तुरंत अमल करने की जरूरत है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह जंगल	गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है बाकी पहाड़ी ढलानवाली, उबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन कुछ ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल	गाँव में जितनी जमीन है उसके आधी जमीन पर खेती होती है और विला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली

	भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गांव का जंगल खत्म हो चुका है और उसे फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है।	तथा उबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी ले सकते हैं। जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गाँव तक नदी, नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से पानी रोकने खेती/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन/छोटे व्यवसाय के लिए लोग सोचना और समझना शुरू करें तो गाँव से नौजवानों के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। पशुओं के लिए चारा गाँव के लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। अच्छी नस्ल न होने और पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियां होने से चारा कम ही मिल पाता है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ियों पर घास होती ही नहीं है। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यह सब उनके परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। भोजन के अलावा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग निकट के बाजारों या डूंगरपुर की मजदूर मंडी में काम की तलाश में जाते हैं। काम अगर मिल गया तो ठीक नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ता है। महीने भर में उन लोगों को यहां 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे शहरों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, बड़ौदा और अहमदाबाद आदि में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहां भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गाँव में 25 लोग सरकारी और प्राइवेट कंपनी की नौकरी में हैं। जो लोग पढ़े लिखे और सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है बाकी लोग अशिक्षा और गरीबी के कारण बदहाली में अपना जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

खनन - गाँव में पहाड़ियां है और गांव की पहाड़ियों में पिछले 20 वर्ष से खनन हो रहा था। जो 4 वर्ष पहले तक मार्बल और सोप स्टोन का खनन चल रहा था। लेकिन अभी किसी प्रकार का खनन नहीं हो रहा है। खनन करने वालों का सामान खनन वाले स्थान पर आज भी पड़ा है।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	रास्ते के संकट का कारण सरकार की उपेक्षा एवं पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया है। जो सड़क बनाई जाती है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से वह दो तीन वर्षों में ही टूट जाती है। कच्चे रास्ते एक बार बना देने के बाद उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। गाँव के लोगों का रास्ते के लिए जमीन न देना भी रास्ते निर्माण में एक बड़ी बाधा है ।	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहां रास्ते नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी तथा रास्ते के बीच में जिन लोगों की जमीन आ रही है उन लोगों से भी सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा द्वारा किया जा रहा है।	**तात्कालिक**
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। उन्हें पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक हैं और न ही छात्रों के बैठने हेतु कमरे। जो कमरे हैं उनमें से भी चार कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है। बच्चों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। विद्यालय में जो हैंडपंप है उसमें फ्लोराइड और	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने और आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा उसकी मरम्मत करने के प्रस्ताव लिए गए हैं। गाँव सभा में यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यालय और आंगनवाड़ी की समस्या के	**तात्कालिक**

			आयरन पाया जाता है।	समाधान के लिए गाँव सभा द्वारा शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। यह समस्या ब्लॉक के हर गाँव में है इसलिए ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों को एक साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।	
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलनेवाली नदी में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नदी का सारा पानी निकल जाता है । जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नदी नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है, वृक्षारोपण, मछलीपालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है । खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। जंगल को विकसित करके	**तात्कालिक**

				लघु वनोपज भी लिया जा सकता है जिससे लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है।	
4	काबीज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं जिस भूमि पर वह काबीज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी! ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है।	गाँव के लोगों ने काबीज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	**दीर्घकालिक**
5	आवास/ शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या	**व्यक्तिगत**	आवास निर्माण में पंचायत द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है । जिनका आवास निर्माण होता भी है तो उनको घूस के रूप में दस हजार रु. का भुगतान पहले करना पड़ता	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	**तात्कालिक**

			है । शौचालय के लिए पहले गाँव के लोगों को शौचालय बनाना पड़ता है। फिर भुगतान किया जाता है। उसके लिए भी लोगों को सेवा शुल्क(घूस) देना होता है। सेवा शुल्क देने के बाद भी गाँव के कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है।		
6	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है।	समाधान बरसात के पानी को पूरे वर्ष नदी नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।

जल नदी नाला एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप नदी	गाँव से निकलने वाली नाले पर एक एनीकट बना हुआ है। उस एनीकट में से भी पानी रिसकर निकल जाता है। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। नदी पर कोई बांध नहीं होना । कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव के तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। नदी पर बांध बनाने की योजना। गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। साथ ही साथ जल संरक्षण की चल रही योजनाओं की जानकारी का अभाव।
कृषिभूमि पशुपालन मछलीपालन	वन को गाँव सभा के अधिकार में लेने के प्रति उदासीनता। खेत समतलीकरण योजना को पंचायत से लेने के प्रति उदासीनता। चारागाह पर गाँव के लोगों का अवैध कब्जे के कारण चारे की कमी तथा चारागाह की खाली जमीन पर चारे के प्रबंधन के प्रति उदासीनता। पशुपालन के प्रति उदासीनता। सब्जी की खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था का अभाव। मछलीपालन न करना।	लघु वन उपज, गौण खनिज, दूध व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और सब्जी की खेती की जा सकती है। गाँव के जंगल में फलदार और इमारती लकडियों का वृक्षारोपण कर के लघु वन उपज प्राप्त किया जा सकता है। खेत का समतलीकरण करके और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर के कृषि उपज बढाई जा सकती है। पशु पालन के लिए चारागाह की जमीन पर	खेती के लिए उन्नतशील बीज और सिंचाई के साधनों का अभाव। उन्नत नस्ल के पशुओ का अभाव। वन पर सामुदायिक दावा पत्र न मिलना। मछलीपालन करना।

		चारे की व्यवस्था और उन्नतशील नस्ल के दुधारू जानवरों की व्यवस्था। भेड़, बकरी और मुर्गी पालन। सब्जी की खेती	
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को फिर से हराभरा करना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

नजरिया नक्शा लोलकपुर

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1.	कुआ निर्माण और मरम्मत के संबंध में	33
2.	हैंड पंप नए	53
	पुराने हैंडपंप की मरम्मत	-
3.	खेत समतलीकरण	63
4.	एनीकट निर्माण और पुराने की मरम्मत 1. पीपली वाली दरा में एनीकट निर्माण 2. सूरज मावजी के नीचे 3. टिमरू वाली दरा में एनीकट निर्माण 4. डोली/दीता के घर के नीचे एनिकट निर्माण 5. ऊंचा डूंगरा नाले में एनीकट निर्माण 6. लाल दरा नाले में एनीकट निर्माण(अमृत वक्ता घर के पास) 7. तलावडी वाली डाबरी में एनीकट निर्माण(रतन लाल/हीरा) 8. नाना पूंजा के खेत पर एनीकट निर्माण 9. मकना काला 10. झांपड़ला में नदी में बड़ा एनीकट निर्माण 11. भीमाजी धुला के खेत पर एनीकट निर्माण 12. रूपा धर्मो के खेत पर एनीकट निर्माण 13. वीर जी नाना फूटा बंदड़ा वाला खेत पर एनीकट निर्माण 14. जीवराज हूर जी के खेत पर 15. जग्गू/पेमा जी गाराड़ा वाली दरा में(तोरणिया)	15
5.	तलावडी निर्माण	11
6.	चेक डैम निर्माण	10
7.	सड़क/कच्चा रास्ता 1. मेन सड़क से कांति पिता धुला के घर तक तोरणिया 2. कच्चा रोड वाहड़ी नाली घाटी से रूपसी भेमा के घर तक तोरणिया 3. शांति लाल के घर से विजय पाल के घर तक सी.सी. सड़क मय रिंग वाल बेड़मियां 4. कड़गी महूँड़ी से नाना भाई के घर तक सी.सी. सड़क 5. कड़गी महूँड़ी से मेन सड़क गेमन बाबजी तक डामर सड़क फला तोरणिया तक 6. शंकर घाटी से ललितपुर स्टेशन तक मेन सड़क मरम्मत	7

	करना है 7. मेन सड़क से राकेश/धनजी के घर तक सी.सी. सड़क	
8.	पशु बाड़ा निर्माण	88
9.	श्मशान घाट नदी पर	1
10	पेंशन के संबंध में	
	पेंशन वृद्धा पेंशन	6
	विकलांग पेंशन	5
	विधवा पेंशन	1
	एकल नारी	2
11.	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास	20

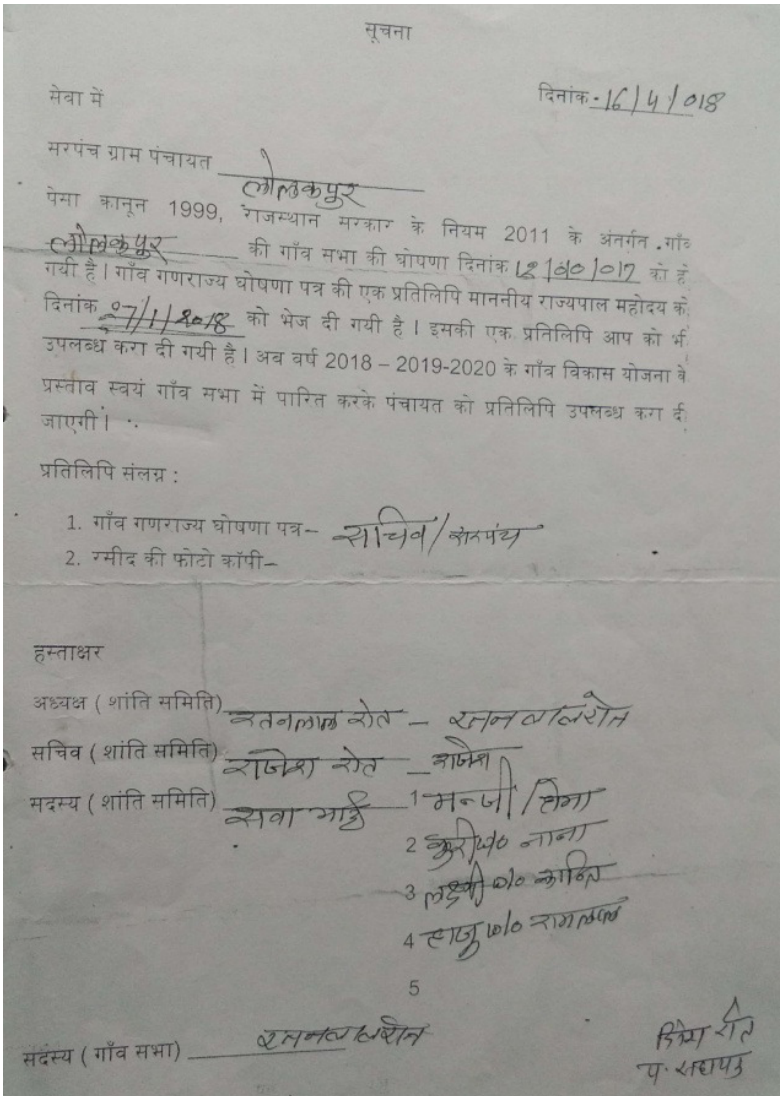

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

सूचना

सेवा में

दिनांक 16/4/018

सरपंच ग्राम पंचायत लोलकपुर

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव लोलकपुर की गाँव सभा की घोषणा दिनांक 18/10/017 को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 07/1/2018 को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 – 2019-2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्रतिलिपि संलग्न :

1. गाँव गणराज्य घोषणा पत्र– सचिव/सरपंच
2. रसीद की फोटो कॉपी–

हस्ताक्षर

अध्यक्ष (शांति समिति) रतनलाल रोत

सचिव (शांति समिति) राजेश रोत

सदस्य (शांति समिति) 1 2 3 4 5

सदस्य (गाँव सभा)

सूचना

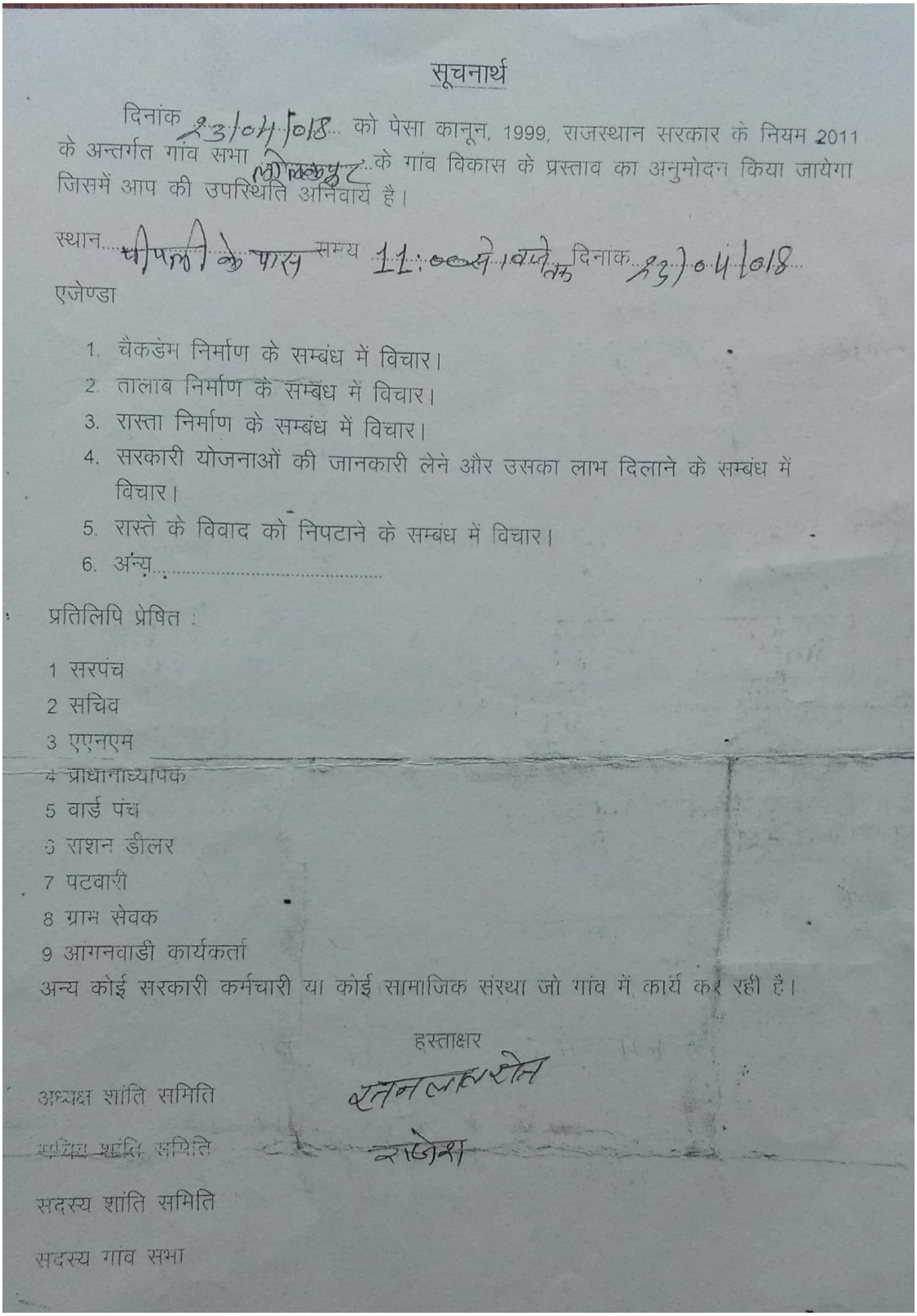

सूचनार्थ

दिनांक 23/04/2018 को पेसा कानून, 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अन्तर्गत गांव सभा [illegible] के गांव विकास के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जायेगा जिसमें आप की उपस्थिति अनिवार्य है।

स्थान चौपाल के पास समय 11:00 से 1 बजे तक दिनांक 23/04/2018

एजेण्डा

1. चैकडेम निर्माण के सम्बंध में विचार।
2. तालाब निर्माण के सम्बंध में विचार।
3. रास्ता निर्माण के सम्बंध में विचार।
4. सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और उसका लाभ दिलाने के सम्बंध में विचार।
5. रास्ते के विवाद को निपटाने के सम्बंध में विचार।
6. अन्य...

प्रतिलिपि प्रेषित :

1 सरपंच
2 सचिव
3 एएनएम
4 प्राधानाध्यापक
5 वार्ड पंच
6 राशन डीलर
7 पटवारी
8 ग्राम सेवक
9 आगनवाडी कार्यकर्ता

अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामाजिक संस्था जो गांव में कार्य कर रही है।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष शांति समिति रतनलाल सेत

सचिव शांति समिति राजेश

सदस्य शांति समिति

सदस्य गांव सभा

एजंडे की सूचना

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत लोलकपुर

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का कियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (I)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके कियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम लोलकपुर

प्रतिलिपी:-
1. श्रीमान् विकास अधिकारी.....
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....
4. निजी रेकार्ड

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत लोलकपुर
पं.स. दोवडा जि. डूंगरपुर
15/05/2018 02:32 pm

प्रस्ताव कवरिंग

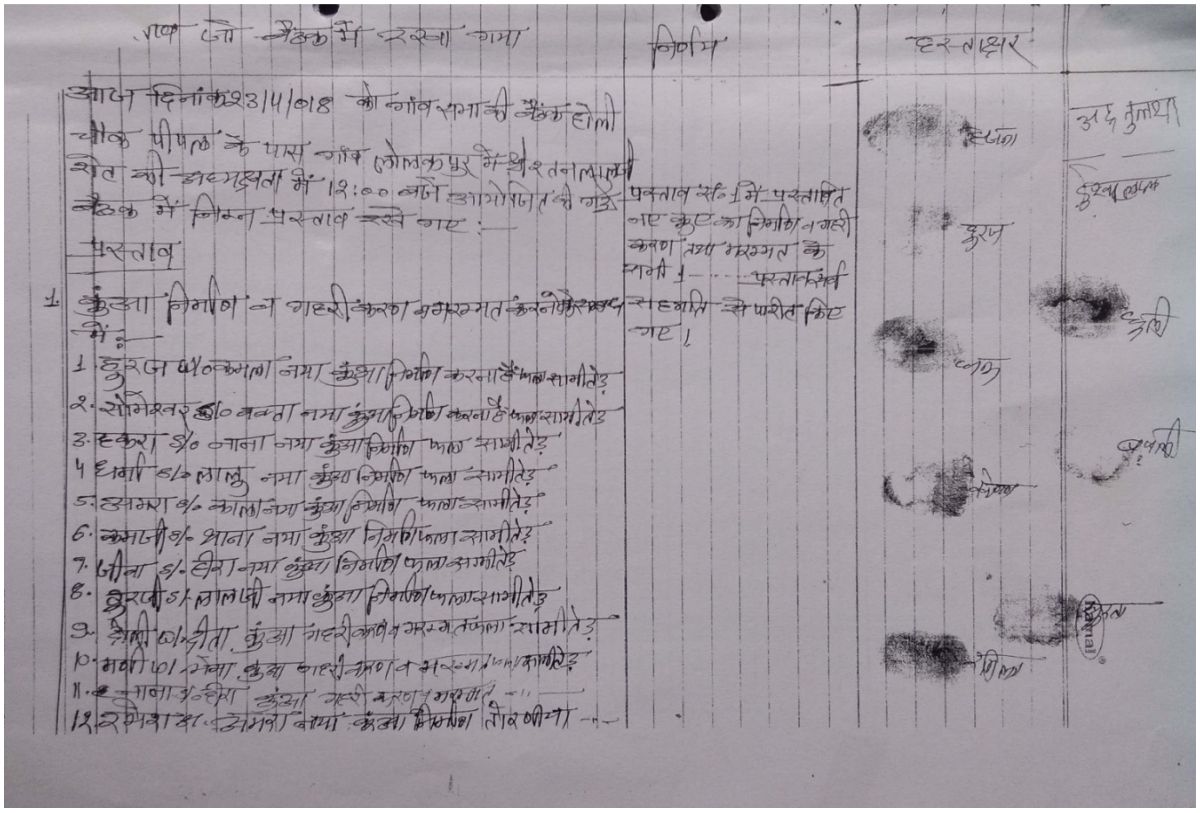

प्रस्ताव प्रथम पेज

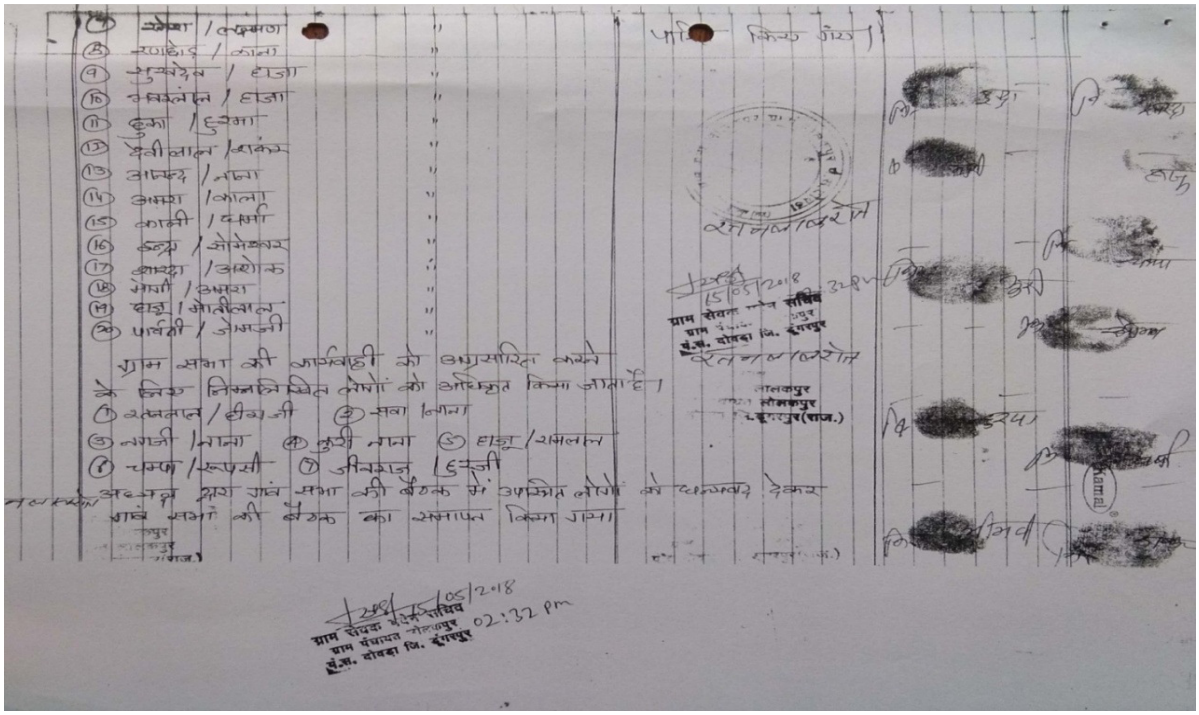

प्रस्ताव अंतिम पेज

लोलकपुर गाँव का एक दृश्य

लोलकपुर गाँव में सड़क किनारे से लिया एक दृश्य

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम	**फोन न.**
शांति रोत	7568356443
लीलाराम रोत	7742865233
रतनलाल रोत	7300322532
राजेन्द्र	91661 80578
हजू रोत	
देवली देवी रोत	
वाली देवी रोत	
शवजी रोत	
सुमित्रा	
रमिला रोत	